भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 382
उत्तर देने की तारीख 28 मार्च, 2023
7 चैत्र, 1945 (शक)

खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति

382. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रीडाओं और खेलों के प्रसार और वहां मौजूद छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान खेल विधा और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम कितना सफल रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण भारत में युवा प्रतिभाओं के मार्गदर्शन हेतु प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

****

"खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति" के संबंध में श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी द्वारा दिनांक 28.03.2023 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 382 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) जी हां। देश में खेलो का दायरा बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था।

(ख) इस मंत्रालय में धनराशि स्कीम-वार आवंटित और जारी की जाती है, न कि राज्य-वार या खेल विधा-वार। पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलो इंडिया स्कीम के तहत आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	किया गया व्यय
1	2021-22	869.00	764.29
2	2020-21	328.77	338.06
3	2019-20	578.00	575.52

(ग) और (घ) : जी हां। खेलो इंडिया स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी समिति (एनएलईसी) के माध्यम से स्कीम की निगरानी का प्रावधान है। केंद्रीय मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एनएलईसी की अध्यक्षता खेल विभाग के सचिव द्वारा की जाती है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए परियोजना निगरानी समिति का भी प्रावधान है। इस निगरानी समिति की अध्यक्षता राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के प्रधान सचिव/आयुक्त/सचिव (खेल और युवा कार्यक्रम) द्वारा की जाती है।

(ङ) और (च) : जी हां। देश में जमीनी स्तर पर खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार के विजन के तहत एक कम लागत वाला प्रभावी खेल प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया गया है जिसमें अधिसूचित खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) में देश भर के विभिन्न अधिसूचित खेलो इंडिया केंद्रों में प्रशिक्षुओं के लिए कोचों और मेंटोर के रूप में "पूर्व चैंपियन एथलीटों" की नियुक्ति करने का प्रावधान है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) में खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञ कोचों को भर्ती/हायर किया गया है। मान्यता प्राप्त खेल अकादमियों जिनमें खेलो इंडिया एथलीटों को शामिल किया जाता है, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि सर्वोत्तम कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित पेशेवर व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) एनसीओई, एसटीसी और एसटीसी के विस्तार केंद्रों सहित अपने केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर के चयनित

एथलीटों को विशेषज्ञ कोच, खेल उपकरण, भोजन और आवास, खेल किट, प्रतियोगिता एक्सपोजर, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/ बीमा तथा वजीफे के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है।

****